न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

मुकदमा नं0 दावा -- 110 / 2017

दायरी दावा तारीख – 4-9-17

पीठासीन अधिकारी

जगदीश आर्य

(आर0ए0एस0)

उनवान

1. हाडीलाल पुत्र गिज्जी
2. रामहंस पुत्र गिज्जी

समस्त जाति मीना निवासी मण्डेरू तहसील टोडाभीम जिला करौली – वादीगण

विरूद्ध

1. मातीराम पुत्र पांच्या
2. श्योफूल पुत्र पांच्या
3. रामखिलाडी पुत्र पांच्या

समस्त जाति मीना निवासी मण्डेरू तहसील टोडाभीम जिला करौली

4. तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली –प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरारहक इन्द्राज दुरस्ती ट्रेस

अन्तर्गत धारा 88 राज0टे0एक्ट व धारा 136 राज0ले0रे0एक्ट

उपस्थिति–

श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट – पक्ष वादीगण

प्रतिवादी एकतरफा कार्यवाही

निर्णय दिनांक 29.12.2017

संक्षेप्त मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि भूमि हाल खसरा नं0 1293 रकबा 1.16 हेक्टयर ग्राम मण्डेरू तहसील टोडाभीम है। इस भूमि के भूप्रबंध से पूर्व खसरा नं0 383, 381, 373 है इस भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम है भूमि हाल खसरा नं0 1287 रकबा 0.03 गैर मुमकिन चाह ग्राम मण्डेरू तहसील टोडाभीम मे स्थित है। इस भूमि की खातेदारी रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी मे प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 के नाम दर्ज है। वादीगण की भूमि खसरा नं0 1293 के दक्षिण की तरफ व प्रतिवादीगण की भूमि के मध्य मेड पर वादीगण व प्रतिवादीगण का शामलाती चाह व उसकी भूमि अगवान है तथा हिस्सा 1/2 के वादीगण खातेदार काबिज है। भूप्रबंध विभाग ने हाल ट्रेस मे चाह खसरा नं0 1287 चाह की अगवान की भूमि हाल ट्रेस मे वादीगण की खातेदारी मे दर्ज भूमि खसरा नं0 1293 मे दर्शायी गई है तथा खसरा नं0 1287 मे भी दर्शायी गई है लेकिन कुआ "O" का खसरा नं0 1287 मे दर्शाया गया है तथा इस चाह व उसकी भूमि की खातेदारी

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी है जबकि चाह खसरा नं0 1287 मे वादीगण हिस्सा 1/2 के खातेदार है तथा आज भी काबिज है। कुआ "O" को हाल खसरा नं0 1293, 1287 के मध्य मेड पर होना चाहिये तथा हाल ट्रेस मे भी इसी प्रकार दर्शाना चाहिये इस प्रकार भूप्रबंध द्वारा बनाया गया हाल ट्रेस मुताबिक मौका व भूप्रबंध से पूर्व की स्थिति के अनुसार की होना चाहियें। हाल रिकार्ड भूप्रबंध विभाग ने गलत तैयार किया है जो दुरस्त होने योग्य है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर कर सम्मन प्रतिवादीगण जारी किये गयें। प्रतिवादीगण बावजूद तामील उपस्थित नही हुये, उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई। वादीगण ने दस्तावेजी सबूत मे नकल नक्शा ग्राम मण्डेरू सन् 1926 - 1927, नक्शा ट्रेस सम्वत् 2043, नकल जमाबंदी सम्वत् 2039 से 2042 तक, नकल जमाबंदी भू प्रबंध आधार वर्ष दिनांक 30.06.2005, नकल जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074, नकल मिलान क्षेत्रफल 2043 से 2062, की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की तथा साक्ष्य वादीगण मे स्वंय का शपथपत्र प्रस्तुत किया। इस प्रकरण के संबंध मे तहसीलदार टोडाभीम से मौका व रिकार्ड की स्थिति तलब की गई जो पत्रावली मे शामिल है। मौका रिपोर्ट मे स्पष्ट लिखा है कि हाल खसरा नं0 1287 गैर मुमकिन चाह है जो खसरा नं0 1293 व 1356 की मेढ पर है तथा इसकी अगवान (भूमि) खसरा नं0 1293 व 1256 मे है, 1293 की तरफ भूमि वादीगण के कब्जे मे है। 1356 की तरफ भूमि खाली वादीगण के वकील ने दौराने बहस कथन किया कि हाल खसंरा नं0 1283 रकबा 0.03 एयर किस्म गैरमुमकिन चाह के हिस्सा 1/2 वादीगण का है तथा भूप्रबंध विभाग ने गलती से इस खसरा नं0 के सम्पूर्ण रकबे की खातेदारी प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी है जबकि हिस्सा 1/2 की खातेदारी वादीगण के नाम होनी चाहियें। मैने पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड व तहसीलदार तहसील टोडाभीम की रिपोर्ट का अवलोकन किया। वादीगण का दावा डिकि योग्य पाया जाता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 बाबत् इन्द्राज दुरस्ती रिकार्ड जमाबंदी व ट्रेस डिकि किया जाकर ग्राम मण्डेरू की भूमि हाल खसरा नं0 1287 रकबा 0.03 एयर किस्म गैर मुमकिन चाह मे वादीगण को हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त खसरा नं0 बाबत् हाल ट्रेस मे कुआ "O" दर्शाया गया है उसको खसरा नं0 1293 व 1356 के मध्य दर्शाया जावें तथा इसी प्रकार हाल ट्रेस मे तरमीम की जावें। तहसीलदार तहसील टोडाभीम को आदेश प्रदान किये जाते है कि वे उपरोक्तानुसार ही रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी व ट्रेस मे अमल करें। रहन गुतर्हन का इन्द्राज बदस्तूर रहेगा। पर्चा फाईनल डिकि किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
जगदीश आर्य
उपजिला कलेक्टर टोडाभीम
टोडाभीम

Scanned by CamScanner